भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3940
दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ

डिजिटल गवर्नेंस के साधन

3940 .डॉ. राजेश मिश्राः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री दूलू महतोः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री बलभद्र माझीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट डिजिटल गवर्नेंस साधनों और एआई/एमएल का प्रशिक्षण देने संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पंचायत स्तर पर इनका व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या मध्य प्रदेश और झारखण्ड सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पंचायती राज संस्थाएं डिजिटल गवर्नेंस में पिछड़ रही हैं, इसी प्रकार की क्षमता निर्माण पहलों के विस्तार का कोई विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना तथा उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इस पहल के एक भाग के रूप में, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज- एक ऑनलाइन योजना और लेखांकन एप्लीकेशन शुरू किया है, जिसे पंचायत की गतिविधियों जैसे योजना, लेखांकन और बजटन को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के

लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्रामस्वराज को भी एकीकृत किया है। पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने और अपलोड करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल का उपयोग करती हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के द्वारा GeM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे अनुप्रयोगों से पंचायत में नियोजन, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' एप्लीकेशन विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग के धनराशि के उपयोग की पारदर्शी लेखापरीक्षा के लिए ऑडिटऑनलाइन की शुरुआत अप्रैल, 2020 में की गई।

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके 3.2 लाख गांवों में आबादी क्षेत्रों के सटीक भू-संदर्भित मानचित्र बनाए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय के ग्राम मानचित्र (https://grammanchitra.gov.in/) एप्लिकेशन में एआई टूल्स का उपयोग करके, ग्रामवासियों द्वारा उपयोग के लिए गांव के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) मंत्रालय राज्यों को ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन अपनाने के लिए वर्चुअल और फिजिकल प्रशिक्षण तथा सक्षमता के माध्यम से लगातार संपर्क में रहता है। प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें, कार्यशालाएं, हैंड-होल्डिंग सत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा किया जाता है। एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) भी इस परियोजना के कार्यान्वयन का समन्वय/सुविधा प्रदान करती है। सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ई-पंचायत एमएमपी को कार्यान्वित करने के प्रयास कर रहे हैं। तथापि, देश भर में पंचायतों की तैयारी के स्तर में भिन्नता के कारण, राज्यों में इन एप्लीकेशनों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ)**:** मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से केंद्र प्रायोजित योजना, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए RGSA), को मध्य प्रदेश और झारखंड सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को सशक्त बनाना है, जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs), अधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर उनके नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं को विकसित किया जाता है, ताकि पंचायतों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।
योजना के अंतर्गत, मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए बुनियादी अभिमुखीकरण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, थीम आधारित प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना

प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, मंत्रालय अनुभवात्मक यात्राओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करता है। नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) के तहत उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए एक नई पहल शुरू की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषयगत विकास योजना की तैयारी, वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण शासन और सेवा वितरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग, और विशेष प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रशासन में सुधार हुआ है।

पंचायत स्तर पर प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ई-ग्राम स्वराज से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण सामग्री और कलाकृतियाँ, जैसे ब्रोशर, त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिकाएँ और ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल के लिए एसओपी, पंचायतों को उपलब्ध कराई गई हैं। ये संसाधन ई-ग्रामस्वराज वेबसाइट (https://egramswaraj.gov.in/) पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

***